<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

17.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड (एएसएल) के तत्कालीन निदेशकों/शेयरधारकों-गौरव अग्रवाल, मोहेंदर अग्रवाल, कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटर-जगदीश प्रसाद पुरोहित और मेसर्स एएसएल की अन्य संबंधित संस्थाओं और गैर-संबंधित संस्थाओं के खिलाफ मेसर्स एएसएल और अन्य संस्थाओं से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष 15.12.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज किया है। कंपनी इस्पात उत्पादों के निर्माण में लगी हुई थी। मेसर्स एएसएल को 2018 में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में शामिल किया गया था और जीपी ग्लोबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 06.05.2022 के एनसीएलएटी आदेश के अनुसार लगभग 233.71 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के साथ सफल समाधान आवेदक (एसआरए) के रूप में चुना गया था।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), नई दिल्ली द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो केनरा बैंक द्वारा मेसर्स एएसएल और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ 05.03.2022 की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी कंपनी मेसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड (एएसएल) ने अपने निदेशकों / प्रवर्तकों / कर्मचारियों और अन्य के माध्यम से धन की हेराफेरी और धन के विपथन, आपराधिक दुर्व्यवहार, विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी आदि के माध्यम से धोखाधड़ी की है, जिससे केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को लगभग 1392.86 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है।

ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स एएसएल ने आरोपी कंपनी के बैंक खातों से अग्रिम और अन्य भुगतानों के रूप में विभिन्न संस्थाओं/विक्रेताओं को हस्तांतरित/ विपथित (डायवर्ट) किया है। इसके अलावा, जांच के दौरान यह भी पता चला कि मेसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड ने विभिन्न विक्रेताओं/संस्थाओं से अग्रिम राशि की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किया क्योंकि यह आरोपी कंपनी से धन को विपथित (डायवर्ट) करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका था। ये अग्रिम राशि कभी भी वसूलने के लिए नहीं थी और जांच में आगे पता चला कि मेसर्स एएसएल को विभिन्न संस्थाओं को दिए गए अग्रिम के बदले में नकद प्राप्त हुआ था। प्राप्त नकद को कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटर की मदद से निभाव प्रविष्टि (अकोमोडेशन एंट्री) के माध्यम से मेसर्स एएसएल को भेजा गया था जिसका उपयोग अंततः कंपनी के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था।

मेसर्स एएसएल के प्रवर्तकों/निदेशकों और अन्य संबंधित संस्थाओं से जुड़े विभिन्न परिसरों में ईडी द्वारा किए गए तलाशी अभियान से पता चला कि मेसर्स एएसएल ने कंसोर्टियम से प्राप्त ऋण/सीमाओं को विभिन्न असंबद्ध फर्मों, जैसे मेसर्स युरेकस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जुबिलेंट मॉल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स क्रेटोस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एचएनएस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एचएनएस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को अग्रिम राशि देकर विपथित (डायवर्ट) किया। असंबद्ध फर्मों/संस्थाओं को दी गई ये अग्रिम राशि मेसर्स एएसएल द्वारा कभी भी वसूल नहीं की गई और मेसर्स एएसएल द्वारा इसे वसूलने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। जांच से पता चला कि मेसर्स एएसएल द्वारा 48.68 करोड़ रुपये की ऋण राशि उपरोक्त संस्थाओं को विपथित (डायवर्ट) की गई, जिसे कभी भी वसूल नहीं किया गया।

इस मामले में पहले, ईडी ने मेसर्स सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स युरेकस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य संबंधित संस्थाओं की लगभग 44.09 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। तत्काल मामले में कुल कुर्की और जब्ती 45.51 करोड़ रुपये की है।